



कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
छावनी परिषद पचमढी

क्र० 69/मेला/शिवरात्रि/2019-2935

दिनांक :- 11 फरवरी 2019

शिवरात्रि मेला 2019

समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि शिवरात्रि मेला 2019 की अस्थाई दुकानों के फार्म दिनांक 18/02/2019 के 1530 बजे से कार्यालय छावनी परिषद में भरवाये जायेंगे तथा दिनांक 21/02/2019 के 1200 बजे से अस्थाई दुकानों का आवंटन आरम्भ किया जायेगा। शिवरात्रि मेला 2019 की अवधि दिनांक 24/02/2019 से 05/03/2019 तक रहेगी।

अस्थाई दुकानों के आवंटन के नियम एवं शर्तें छावनी कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं एवं छावनी परिषद की वेबसाइट www.canttboardpachmarhi.org पर देखी जा सकती हैं।

सत्यम मोहन, सा०रो०सं०से०
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद पचमढी

प्रतिलिपि :-

1. सूचना पटल - कार्यालय नोटिस बोर्ड/बस स्टेण्ड/जवाहर चौक/गांधी चौक/दीनू टी स्टाल/केन्ट शॉपिंग कम्पलेक्स/जटाशंकर मार्केट/न्यूमार्केट/पटैल रोडमार्केट/
2. थाना प्रभारी, पुलिस थाना पचमढी
3. संपादक दैनिक भास्कर, भोपाल
4. संपादक दैनिक जागरण, भोपाल
5. संपादक राजएक्सप्रेस, भोपाल
6. संपादक, आई०टी०डी०सी०, भोपाल
7. श्री अभ्युदय अग्रवाल, सहा० प्रोग्रामर - नीलामी सूचना एवं टेण्ड फार्म छावनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
8. श्री पंकज जायसवाल, उपाध्यक्ष छावनी परिषद पचमढी -
9. श्री गोपाल काबरा, पाषर्द छावनी परिषद पचमढी
10. श्री हुजैफा दाउदी, पाषर्द छावनी परिषद पचमढी
11. श्रीमति लक्ष्मी राय, पाषर्द छावनी परिषद पचमढी
12. श्री प्रशांत सिंहोते, पाषर्द छावनी परिषद पचमढी
13. श्रीमति सरिता सत्ताम, पाषर्द छावनी परिषद पचमढी
14. श्री संजय लेखवानी, पाषर्द छावनी परिषद पचमढी

कृपया भोपाल एवं होशंगाबाद पेपर में प्रकाशित करने का कष्ट करे तथा विज्ञापन डी.ए.वी.पी. की दरों पर छापे एवं डी.ए.वी.पी. दर सूची बिल के साथ संलग्न करे।

आवंटन के नियम एवं शर्तों की प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित हैं।




कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
छावनी परिषद पंचमढ़ी

शिवरात्रि मेला 2019

अस्थाई दुकान आवंटन के नियम एवं शर्तें

1. दुकान का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा।
2. आवंटन 21/02/2019 के 1200 बजे से शुरू होगा।
3. पंजीयन के समय परिवय पत्र/आधार कार्ड/स्थायी पते के साथ 01 फोटो जरूरी होगी। फोटो को फार्म में चिपकाना आवश्यक है।
4. दुकान पंजीयन के समय दुकान की समस्त राशि एकमुस्त जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
5. एक फार्म पर दुकानदार को अधिकतम 8 फुट जगह का ही आवंटन किया जायेगा।
6. प्रत्येक दुकानदार को दुकान का फार्म जमा करते समय अपने फार्म पर दुकान क्रमांक आवश्यक रूप से लिखना होगा (जो कि रोड पर लिखा हुआ है)। अन्यथा उसका फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. दुकानों की दर जोन के अनुसार छावनी परिषद सूचना पटल पर देखी जा सकती है।
8. जमा की गई राशि किसी भी शर्त पर वापस नहीं की जायेगी।
9. शिवरात्रि मेला 2019 में दुकानों का आवंटन अरविन्द मार्ग, बडी मस्जिद मार्ग, जयप्रकाश मार्ग, जटाशंकर मार्ग एवं सुभाष मार्ग पर किया जायेगा। पिपरिया रोड के दोनो ओर किसी की दुकान का आवंटन कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
10. यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से दुकान लगाता है तो उसे छावनी परिषद द्वारा हटा दिया जायेगा। किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की जबाबदारी छावनी परिषद पंचमढ़ी की नहीं होगी।
11. कोई भी व्यक्ति कोई भी राशि छावनी परिषद कार्यालय के बाहर किसी भी कर्मचारी को न दे। यदि कोई दुकानदार किसी भी कर्मचारी को राशि देता है तो उसकी जवाबदारी दुकानदार की होगी, कार्यालय की नहीं।

दिनांक - 11/02/2019


संत्यम मोहन, सा0र0स0से0
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद पंचमढ़ी

प्रतिलिपि :-

1. कार्यालय नोटिस बोर्ड- सूचना पटल
2. श्री अभ्यूदय अग्रवाल, सहा0प्रोग्रामर - नीलामी सूचना एवं उसकी नियम एवं शर्तें छावनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें।